न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 17 सन 2019
अनवान :—

1. राजीव कुमार पुत्र कुरडाराम जाति मेधवाल निवासी मोडिया खेडा तहसील व जिला सिरसा।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :— मांगीलाल देहडु अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :— 10/12/19

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 63/61 के खसरा न0 282 की 3.7180हैक , जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा व रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 262/262 की कुल 17.5910 हैक जिसमें प्रार्थी का सुयक्त तौर से 134 हिस्सा में 1/3 हिस्सा दर्ज है उक्त भूमि का नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थी व उसके भाईयों का पता मोडिया खेडा कर दिया कतई अनुचित तौर से सहबन से गलत दर्ज कर दिया इसी प्रकार रोही मौजा सोनडी में प्रार्थी का नाम कतई गलत तौर से संजीव कुमार दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम राजीव कुमार है प्रार्थी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में गलत नाम अंकित होने से अपूर्णीय क्षति हो रही है राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता एवं अन्य योजनाओं जैसे खादबीज का ऋण मुआवजा , फब्बारा व डिग्गी का ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानी हो रही है वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज करने पर किसी अन्य काश्तकार को किसी प्रकार की परेशानी नही हो रही है ना ही उनके हक हिस्सों पर किसी प्रकार का प्रभाव पडता है

प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात जैसे मतदाता पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड में वादी का नाम/पता राजीव कुमार —मोडिया खेडा दर्ज केवल राजस्व रिकार्ड में सहवन से संजीव कुमार व भोडिया खेडा दर्ज है प्रार्थी का सही नाम राजीव कुमार व पता मोडिया खेडा है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 63/61 के खसरा न0 282 की 3.7180हैक , जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा व रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 262/262 की कुल 17.5910 हैक जिसमें प्रार्थी का सुयक्त तौर से 134 हिस्सा में 1/3 हिस्सा दर्ज है में प्रार्थी का नाम संजीव कुमार के स्थान पर राजीव कुमार व पता भोडिया खेडा के स्थान पर मोडिया खेडा संशोधन करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी की और से तहसीलदार नोहर पेरोकार राज उपस्थित आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बध में जबाब पेश किया की प्रार्थी के नाम वाद भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज होना स्वीकार है एवं प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत होने के सम्बध में साक्ष्य सबुतों के आधार पर नाम राजस्व रिकार्ड में राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए संशोधन किया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 63/61 के खसरा न0 282 की 3.7180हैक , जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा व रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 262/262 की कुल 17.5910 हैक जिसमें प्रार्थी का सुयक्त तौर से 134 हिस्सा में 1/3 हिस्सा दर्ज है उक्त

भूमि का नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थी व उसके भाईयों का पता मोडिया खेडा कर दिया कतई अनुचित तौर से सहबन से गलत दर्ज कर दिया इसी प्रकार रोही मौजा सोनडी में प्रार्थी का नाम कतई गलत तौर से संजीव कुमार दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम राजीव कुमार है प्रार्थी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में गलत नाम अंकित होने से अपूर्णीय क्षति हो रही है राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता एवं अन्य योजनाओं जैसे खादबीज का ऋण मुआवजा , फब्बारा व डिग्गी का ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानी हो रही है वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज करने पर किसी अन्य काश्तकार को किसी प्रकार की परेशानी नही हो रही है ना ही उनके हक हिस्सों पर किसी प्रकार का प्रभाव पडता है

प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात जैसे मतदाता पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड में वादी का नाम/पता राजीव कुमार --मोडिया खेडा दर्ज केवल राजस्व रिकार्ड में सहवन से संजीव कुमार व भोडिया खेडा दर्ज है प्रार्थी का सही नाम राजीव कुमार व पता मोडिया खेडा है

प्रार्थी का नाम/पता संशोधन करने से कोई राज्यहित प्रभावीत नही होते बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी के नाम वाद भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज होना स्वीकार है एवं प्रार्थी का नाम साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए संशोधन किया जाना स्वीकार है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 63/61 के खसरा न0 282 की 3.7180हैक , जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा व रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 262/262 की कुल 17.5910 हैक जिसमें प्रार्थी का सुयक्त तौर से 134 हिस्सा में 1/3 हिस्सा दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम संजीव कुमार व पता भोडिया खेडा दर्ज है जिसे संशोधन करवाकर संजीव कुमार के स्थान पर राजीव कुमार एव पता भोडिया खेडा के स्थान पर मोडिया खेडा दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थी के द्वारा अपना परिवार राशन कार्ड ,आम आदमी का आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र ,राजस्थान सरकार का भामाशाह कार्ड पेश किया है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम राजीव कुमार व पता मोडिया खेडा दर्ज है प्रस्तुत बैयनामा जिसके अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है में भी प्रार्थी का नाम राजीव कुमार व पता मोडिया खेडा दर्ज है बैयनामा के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये था सहवन से गलत दर्ज हुआ है जिसे संशोधन किया जाना उचित है। इसीप्रकार पेरोकार राज ने भी अपने जबाब में स्वीकार किया है कि प्रार्थी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नाम संशोधन राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए किया जाने पर कोई ऐतराज नही है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत बेयनामा व अन्य दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थी का नाम राजीव कुमार व पता मोडिया खेडा है नाम संशोधन से राज्यहक प्रभावित नही होते है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है अर्थात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है

अतः तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट/प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 63/61 के खसरा न0 282 की 3.7180हैक , जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा व रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 262/262 की कुल 17.5910 हैक जिसमें प्रार्थी का सुयक्त तौर से 134 हिस्सा में 1/3 हिस्सा दर्ज है में प्रार्थी नाम संजीव कुमार पुत्र कुरडाराम दर्ज है के स्थान पर राजीव कुमार पुत्र कुरडाराम एवं पता भोडिया खेडा के स्थान पर मोडिया खेडा संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/12/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले ईजलास में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2019 / 1534 दिनांक :–
20.12.19

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 17 / 2019 अनवानी राजीव कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. राजीव कुमार पुत्र कुरडाराम जाति मेधवाल निवासी मोडिया खेडा तहसील व जिला सिरसा।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 17 / 2019 अनवानी राजीव कुमार बनाम सरकार में दिनांक 10/12/19 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 63 / 61 के खसरा न0 282 की 3.7180हैक , जिसमें प्रार्थी का 1 / 3 हिस्सा व रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 262 / 262 की कुल 17.5910 हैक जिसमें प्रार्थी का सुयक्त तौर से 134 हिस्सा में 1 / 3 हिस्सा दर्ज है में प्रार्थी नाम संजीव कुमार पुत्र कुरडाराम दर्ज है के स्थान पर राजीव कुमार पुत्र कुरडाराम एवं पता भोडिया खेडा के स्थान पर मोडिया खेडा संशोधन किये जाने के आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)